संख्या-7/2018/150/46-1-18-02(श.वि.नि.)/2016

प्रेषक,

नरेश बहादुर ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में शक्कर विशेष निधि के स्थान पर नवसृजित गन्ना शोध विकास एवं प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शेष सात माह **(माह सितम्बर, 2017 से माह मार्च, 2018 तक)** हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में शक्कर विशेष निधि में प्राविधानित धनराशि रू. 4000.00 लाख के सापेक्ष शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में लेखानुदान के माध्यम से प्रथम पांच माह (माह अप्रैल से माह अगस्त, 2017) हेतु निर्गत धनराशि रू. 1666.67 लाख के समायोजनोपरान्त अवशेष धनराशि रू. 2333.33 लाख का प्राविधान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में शक्कर विशेष निधि के स्थान पर नवसृजित "गन्ना शोध विकास एवं प्रशिक्षण योजना" के अन्तर्गत शेष सात माह (माह सितम्बर से माह मार्च, 2018) हेतु किया गया है जिसके सापेक्ष आपके पत्र संख्या-612/13(2)/श.वि.नि./लेखा/मांग/17-18, दिनांक 15-01-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के अधिष्ठान एवं आवर्तक/अनावर्तक व्यय हेतु रू. 1636.08 लाख (संलग्नक-1 के अनुसार) लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ के अधिष्ठान एवं अन्य व्यय हेतु रू. 439.00 लाख (संलग्नक-2 के अनुसार) शक्कर विशेष निधि/प्रचार निधि के अधिष्ठान व्यय हेतु रू. 81.85 लाख (संलग्नक-3 के अनुसार) गन्ना एवं चीनी आयुक्त के संचालन हेतु रू. 47.70 लाख (संलग्नक-4 के अनुसार) तथा प्रचार संगठन के अन्तर्गत प्रचार कार्यों हेतु रू. 6.13 लाख (संलग्नक-5 के अनुसार) अर्थात कुल धनराशि रू. 2210.76 लाख की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं।

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय शक्कर विशेष निधि के स्थान पर नवसृजित गन्ना शोध विकास एवं प्रशिक्षण योजना के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017, शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मार्च, 2017 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-8-2017 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य व्यय/ मद का वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

(5) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(6) आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना/आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि **रु.2210.76 लाख** (रूपये बाईस करोड़ दस लाख छिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24(राजस्व लेखा) के लेखा शीर्षक-**''2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0302-गन्ना शोध विकास एवं प्रशिक्षण योजना-42-अन्य व्यय''** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 179, दिनांक 09 मार्च, 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

संख्या-7/2018/150(1)/46-1-18-02(श.वि.नि.)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5- निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
6- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-7/2018/150/46-1-18-02(श.वि.नि.)/2016, दिनांक 09 मार्च, 2018 संलग्नक-1

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र0 सं0	मद का नाम	शक्कर विशेष निधि समिति द्वारा दिनांक 06.06.2017 को आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 (माह अप्रैल से अगस्त, 17 तक) हेतु शासनादेश दिनांक 31.07.2017 द्वारा अवमुक्त	गन्ना शोध विकास एवं प्रशिक्षण योजना से अवमुक्त होने वाली अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5(3-4)
	अ-अधिष्ठान मद			
1	वेतन	1898.51	790.00	1108.51
2	मँहगाई भत्ता	114.13	48.00	66.13
3	अन्य भत्ते	107.03	45.03	62.03
4	पेंशनरी अवकाश अंशदान	5.00	5.00	-
5	अंशदाई पेंशन अंशदान	12.80	5.00	7.80
6	यात्रा भत्ता	24.40	12.00	12.40
7	मानदेय	3.00	1.00	2.00
8	अखिल भारतीय शोध समन्वित परियोजना अंशदान	17.00	7.00	10.00
9	सेवानिवृत्तिक अवकाश नकदीकरण/ग्रेच्युटी	104.70	26.00	78.70
10	पारिश्रमिक का भुगतान	30.00	12.00	18.00
11	उपाध्यक्ष महोदय हेतु मानदेय आदि	-	-	-
12	पेंशन भुगतान हेतु प्रावधान	200.00	100.00	100.00
	योग-	2516.57	1051.00	1465.57
	ब- आवर्तक मद			
1	विद्युत व्यय	88.48	58.00	30.48
2	प्रयोगशाला आपरेशन	30.00	15.00	15.00
3	सम्परीक्षा शुल्क	-	-	-
4	गोष्ठी, नेशनल सेमीनार एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार में भाग लेने हेतु	5.00	-	5.00
	योग-	123.48	73.00	50.48
	स-अनावर्तक मद			
1	आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत	107.03	-	87.03
2	उपकरण,कृषियंत्र एवं शोध जनरल्स आदि	27.92	27.92	-
3	केन्द्रीय प्रयोगशाला	3.00	-	3.00
4	सेन्टर फार शुगर केन बायोटेक्नोलोजी एवं चीनी उत्पादकता के परिप्रेक्ष्य में क्यू.टी.एल. विश्लेषण तथा जीन मैंपिग हेतु	11.00	4.00	7.00
5	गन्ना उपज एवं चीनी परता में वृद्वि हेतु मृदा में सूक्ष्म तत्वों के स्तर का प्रबन्धन	5.00	2.00	3.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	बीज सम्बर्धन केन्द्र कटया सादात शोध केन्द्र होने के फलस्वरूप शोध सम्बन्धी संसाधनो हेतु माँग।	-	-	-
7	गोरखपुर केन्द्र का स्थानान्तरण/पुर्नस्थापना	45.00	25.00	20.00
	योग	198.95	58.92	120.03
	महायोग-	**2839.00**	**1182.92**	**1636.08**

(रूपये सोलह करोड़ छत्तीस लाख आठ हजार मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 7/2018/150/46-1-18-02(श.वि.नि.)/2016, दिनांक 09 मार्च, 2018 संलग्नक-2

क्र.	मद का नाम	(गन्ना शोध, विकास एवं प्रशिक्षण अनुदान) से स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	**2**	**3**
1	क-आवर्तक व्यय प्रशिक्षण व्यय (केन्द्र)- प्रवक्ताओं को पारिश्रमिक	280000-00
2	अतिथि/कृषक/कर्मचारी जलपान	285000-00
3	विचार गोष्ठी किसान मेला	60000-00
4	अन्तः प्रदेशीय अध्ययन यात्रा	270000-00
5	पम्पलेट मैगजीन प्रकाशन	70000-00
6	चार्ट होल्डिंग्स	20000-00
7	प्रचार यंत्र जनरेटर	145833-00
8	फर्नीचर का रख-रखाव	60000-00
9	पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय	20000-00
10	पुस्तकों की बाइडिंग	5000-00
11	जीप कार पर व्यय	1000000-00
12	डाक तार पर व्यय	20000-00
13	स्टेशनरी पर व्यय	200000-00
14	बिजली बिलों का भुगतान	2500000-00
15	बिजली ध्वनि उपस्कर	150000-00
16	भवन रख-रखाव	150000-00
17	ट्यूबबेल रख-रखाव	100000-00
18	भवन कर एवं किराया	3476667-00
19	उद्यान रख-रखाव	80000-00
20	कर्मचारी वर्दी	40000-00
21	फोटो कापियर/टाईपराइटर रख-रखाव	100000-00
22	टेलीफोन पर व्यय	120000-00
23	कृषक स्टेशनरी	250000-00
24	विविध व्यय	307500-00
25	वतानुकूलन रख-रखाव	116667-00
26	अग्निशमन यंत्र	15000-00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	श्रोतृशाला बीमा	4000-00
28	कानूनी व्यय	62300-00
29	विज्ञापन व्यय	2033-00
	;kx	**9910000-00**
1&	**2**-अधिष्ठान व्यय(मुख्यालय$केन्द्र)- वेतन एवं भत्ते	28000000-00
2&	सेवानिवृत्त कार्मिकों की ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण्k	5000000-00
3&	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	290000-00
4&	यात्रा भत्ता	400000-00
5&	सी0पी0एफ0 अंशदान	300000-00
	योग	**33990000-00**
	महायोग	**43900000-00**

(रूपये चार करोड़ उनतालीस लाख मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-7/2018/150/46-1-18-02(श.वि.नि.)/2016, दिनांक 09 मार्च, 2018 संलग्नक-3

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.	विवरण	शक्कर विशेष निधि अधिष्ठान हेतु				प्रचार निधि अधिष्ठान हेतु			
		वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु शक्कर विशेष निधि समिति द्वारा संस्तुत धनराशि/बजट प्राविधान	प्रथम पॉच माह हेतु स्वीकृत / आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	शेष सात माह हेतु आवश्यक धनराशि की मॉग	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु शक्कर विशेष निधि समिति द्वारा संस्तुत धनराशि/बजट प्राविधान	प्रथम पॉच माह हेतु स्वीकृत / आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	शेष सात माह हेतु आवश्यक धनराशि की मॉग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	वेतन एवं अन्य भत्ते	68.99	29.04	39.95	36.50	45.825	18.925	26.90	23.65
2	अवकाश यात्रा सुविधा	0.20	-	0.20	-	-	-	-	-
3	यात्रा भत्ता	0.30	0.12	0.18	0.18	0.100	0.100	-	-
4	कार्यालय व्यय	0.30	0.10	0.20	0.15	-	-	-	-
5	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.80	0.30	0.50	0.40	-	-	-	-
6	लेखन सामग्री	0.60	0.25	0.35	0.25	-	-	-	-
7	रिट याचिकाओं की पैरवी एवं अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक व्यय	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-
8	वाहनों के पेट्रोल एवं अनुरक्षण पर व्यय	35.00	15.00	20.00	18.00	1.900	0.850	1.05	1.05
9	भवन मरम्मत अग्रिम हेतु	1.50	-	1.50	1.50	-	-	-	-
10	टेलीफोन, ब्रॉडबैण्ड	-	-	-	-	0.300	0.130	0.17	0.17
11	वर्दी	-	-	-	-	0.085	0.085	-	-
	योग	**107.79**	**44.91**	**62.88**	**56.98**	**48.210**	**20.090**	**28.12**	**24.87**
	महायोग	(3+7) 156.00				(4+8) 65.00		(5+9) 91.00	(6+10) 81.85

(रूपये इक्यासी लाख पचासी हजार मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-7/2018/150/46-1-18-02(श.वि.नि.)/2016, दिनांक 09 मार्च, 2018 संलग्नक-4

¼/kujkf'k yk[k #i;k e½

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु शक्कर विशेष निधि समिति द्वारा संस्तुत धनराशि/बजट प्राविधान	प्रथम पॉच माह हेतु स्वीकृत / आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	शेष सात माह हेतु आवश्यक धनराशि की मॉग	औचित्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	तीन लिफ्टों के वार्षिक अनुरक्षण तथा आपरेटर की सेवाओं हेतु	5.00	0.50	4.50	5.00	एरिनुअल .सी.एम. में हुई वृद्वि की वजह से
2	बहुमंजिला भवन एवं परिसर, न्यू स्कालर हास्टल भवन की सफाई, सैनिटेशन व्यवस्था एवं रख रखाव	13.00	3.00	10.00	10.00	
3	फायर फाइटिंग सिस्टम के वार्षिक अनुरक्षण एवं आपरेटर हेतु	3.00	1.00	2.00	2.00	
4	बहुमंजिला भवन के बेसमेंट में स्थापित जनरेटर एवं न्यू स्कालर हास्टल में लगे जनरेटर एवं फायर प्रोटक्शन इंजन के वार्षिक अनुरक्षण, डीजल एवं मरम्मत	4.00	1.40	2.60	2.60	
5	कार्यालय भवनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु	16.00	8.50	7.50	8.50	होमगार्ड के पारिश्रमिक में वृद्वि होने के कारण
6	ए0सी0, वाटर कूलर, एक्वागार्ड एवं आर0ओ0 के वार्षिक अनुरक्षण/मरम्मत पर होने वाला सम्भावित व्यय	6.00	2.00	4.00	4.00	
7	बहुमंजिला भवन, न्यू स्कालर हास्टल में बाह्य एवं आन्तरिक विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिशियन का पारिश्रमिक, वाटर सप्लाई एवं सैनिटेशन का कार्य तथा उपरोक्त भवनों में माईनर सिविल कार्य एवं अन्य मरम्मत आदि	5.00	2.00	3.00	3.00	
8	गन्ना आयुक्त कार्यालय में स्थापित ई0ए0पी0बी0एक्स0 के वार्षिक अनुरक्षण हेतु	1.00	0.40	0.60	0.60	
9	गन्ना आयुक्त कार्यालय में स्थापित कम्पयूटर, फोटोस्टेट मशीनों के क्रय एवं वार्षिक अनुरक्षण तथा कन्ज्यूमेबिल मदों हेतु	6.00	4.50	1.50	3.00	वित्तीय वर्ष 2016-17 के मार्च माह के बचे भुगतान के कारण
10	कार्यालय प्रयोगार्थ किराया पद्धति से गत वर्षो के लम्बित टैक्सी बिलों, टैक्सी हायर किये जाने तथा आयुक्त,गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उ.प्र. के प्रयोगार्थ विभागीय वाहनों के ईंधन एवं रख रखाव हेतु	10.00	6.00	4.00	---	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11	कार्यालय में नेटवर्किंग इन्टरनेट, ब्राडबैण्ड सेवा तथा नेटवर्किंग के वार्षिक अनुरक्षण एवं कार्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाने हेतु।	4.00	2.00	2.00	2.00	
12	कार्यालय व्यय, इन्टीरियर डेकोरेशन, अतिथि कक्ष के रखरखाव, साज सज्जा, जलपान, स्टेशनरी, विविध कार्य एवं आकस्मिक व्यय हेतु	10.00	3.00	7.00	7.00	
13	कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उ.प्र. के कार्यालय में बहुमंजिला भवन के पीछे स्थापित ट्यूबबेल के फेल होने के कारण एक नये ट्यूबबेल को कराये जाने पर व्यय हेतु।	2.00	1.12	0.88	--	
	योग	**85.00**	**35.42**	**49.58**	**47.70**	

(रूपये सैंतालीस लाख सत्तर हजार मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-7/2018/150/46-1-18-02(श.वि.नि.)/2016, दिनांक 09 मार्च, 2018 संलग्नक-5

(धनराशि लाख रू. में)

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु शक्कर विशेष निधि समिति द्वारा संस्तुत धनराशि/ बजट प्राविधान	प्रथम पॉच माह हेतु स्वीकृत / आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	शेष सात माह हेतु आवश्यक धनराशि की मॉग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	प्रदर्शनी सामग्री निर्माण	1.500	0.625	0.875	0.875
2	प्रदर्शनी मंडप निर्माण	4.000	1.670	2.330	2.330
3	प्रदर्शनी पैनेल एवं फोटो निर्माण	1.500	0.625	0.875	0.875
4	प्रचार साहित्यों का प्रकाशन	1.500	0.625	0.875	0.875
5	समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का क्रय	0.900	0.375	0.525	0.530
6	कार्यालय कन्टीजेन्सी	0.750	0.310	0.440	0.440
7	कम्पयूटर एवं प्रोजेक्टर अनुरक्षण	0.350	0.145	0.205	0.205
8	बेवसाइट का अनुरक्षण	9.500	3.955	5.545	-
	योग	**20.00**	**8.330**	**11.670**	**6.130**

(रूपये छः लाख तेरह हजार मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।